संख्या-24/2026/359/001-12-5002-002-2-2021

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/03/वित्तीय स्वीकृति 2026-27, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत वचनबद्ध योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू० 995.60 लाख के सापेक्ष रू० 910.47 लाख (रूपया नौ करोड़ दस लाख सैतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. उक्त स्वीकृत धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।
2. उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे।
3. उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाए। जहाँ तक संभव हो व्यय की फेंजिग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाए।
4. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए।
5. व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जायेगा तथा जहाँ कहीं भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखा जाये।
6. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा अवमुक्त किश्त / धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 42,57,000 (रुपये बयालीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 8,67,90,000 (रुपये आठ करोड़ सड़सठ लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-24/2026/359/001-12-5002-002-2-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in